डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर

(A State Funded University of Rajasthan)

8, दहमीकलां, जे.डी.ए. संस्थानिक स्कीम, बगरू, तह.– सागानेर, जिला–जयपुर–303007, (राजस्थान)

www.alujaipur.ac.in

E-mail:- registrar@alujaipur.ac.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः–प.02( )/सा.प्र./अ.वि.वि./2025–26/776

दिनांक : 14/05/2025

खुली निविदा सूचना संख्या – 01/2025 (वित्तीय वर्ष 2025–26)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, 8, दहमीकलां, जे.डी.ए. संस्थानिक स्कीम, बगरू, तह.– सागानेर, जिला–जयपुर–303007, (राजस्थान) में एक वर्ष के लिये प्रशासनिक भवन परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मों से निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। निविदा फार्म/शर्तें कार्यालय में तथा SPPP पोर्टल पर उपलब्ध है।

क्रमांक	बोली का विवरण कार्य का नाम	अनुमानित लागत राशि (रूपये में)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपये में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रूपये में)	बोली प्रपत्र डाउनलोड एवं अपलोड शुरू करने की दिनांक व समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	बोली खोलने की अंतिम दिनांक व समय
1	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, 8, दहमीकलां, जे.डी.ए. संस्थानिय स्कीम, बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर–303007 (राजस्थान) के प्रशासनिक भवन परिसर की साफ–सफाई सहित कार्य समस्त कमरो एवं टायलेट आदि की प्रतिदिन सफाई, सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।	4.00 लाख (एक वर्ष के लिये)	8000	500	दिनांक 15.05.2025 प्रातः 11.00 बजे से	दिनांक 22.05.2025 दोपहर 02.00 बजे तक	दिनांक 22.05.2025 दोपहर 03.00 बजे तक

1. निविदा प्रपत्र कार्यालय डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, 8, दहमीकलां, जे.डी.ए. संस्थानिक स्कीम, बगरू, तह.– सागानेर, जिला–जयपुर–303007, (राजस्थान) कार्यालय से व्यक्तिशः अथवा sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही निविदा शुल्क, अमानत राशि का डी.डी./बैंकर चैक एवं अन्य वांछित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होगें।
2. निविदा आमंत्रण की विस्तृत सूचना मय बोली दस्तावेज डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, 8, दहमीकलां, जे.डी.ए. संस्थानिक स्कीम, बगरू, तह.– सागानेर, जिला–जयपुर–303007, (राजस्थान) कार्यालय से व्यक्तिशः अथवा राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र शुल्क व अमानत राशि का डी.डी./बैंकर चैक कुलसचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम बनाना होगा।
4. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।
5. बोलीदाता/संवेदक टेण्डर की कापी बंद लिफाफे में कुलसचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, 8, दहमीकलां, जे.डी.ए. संस्थानिक स्कीम, बगरू, तह.– सागानेर, जिला–जयपुर–303007, (राजस्थान) में जमा करावें।

नोटः– उक्त निविदा सूचना पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट alujaipur.ac.in पर भी देखी जा सकती है।

कुलसचिव
डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय,
जयपुर

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर

(A State Funded University of Rajasthan)

8, दहमीकलां, जे.डी.ए. संस्थानिक स्कीम, बगरू, तह.– सागानेर, जिला–जयपुर–303007, (राजस्थान)

www.alujaipur.ac.in E-mail:- registrar@alujaipur.ac.in

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1	निविदा सूचना संख्या	...../2025
2	कार्य का नाम	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, 8, दहमीकलां, जे.डी.ए. संस्थानिय स्कीम, बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर– 303007 (राजस्थान) के प्रशासनिक भवन परिसर की एक वर्ष की अवधि के लिये साफ–सफाई सहित कार्य समस्त कमरो एवं टायलेट आदि की प्रतिदिन सफाई, सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
3	निविदादाता फर्म का नाम, पता मय दूरभाष/मोबाइल न.	
4	निविदा अनुमानित लागत	राशि रू. 04.00 लाख
5	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/– का विवरण डी.डी./बैंकर चैक कुलसचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम देय होगा।	राशि रू. .... डी.डी.न............. दिनांक ....
6	अमानत राशि का विवरण रू. 8000/– का डी.डी./बैंकर चैक कुलसचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम देय होगा।	राशि रू. .... डी.डी.न............. दिनांक ....
7	फर्म/प्रोपराईटर का पेन न.	
8	फर्म का जी.एस.टी. न.	
9	बैंक खाते का पूर्ण विवरण	

राजस्थान में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) में पंजीकृत फर्मों को वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के प्रावधानानुसार 0.5 प्रतिशत बोली प्रतिभूति का डी.डी./बैंकर्स चैंक संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

कार्यालय डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, 8, दहमीकलां, जे.डी.ए. संस्थानिक स्कीम, बगरू, तह.– सागानेर, जिला–जयपुर–303007, (राजस्थान) द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... हेतु मेरे द्वारा/फर्म द्वारा दी गई उक्त जानकारी सत्य है तथा उक्त निविदा सूचना की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

हस्ताक्षर निविदादाता
मोहर सहित

REGISTRAR
Dr. Bhimrao Ambedkar Law University
Jaipur

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर
(A State Funded University of Rajasthan)
8, दहमीकलां, जे.डी.ए. संस्थानिक स्कीम, बगरू, तह.– सागानेर, जिला–जयपुर–303007, (राजस्थान)
www.alujaipur.ac.in
E-mail:- registrar@alujaipur.ac.in

वित्तीय निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम :–

फर्म का नाम :–

क्र.सं.	निविदादाता का नाम एवं पता कार्य का विवरण	अवधि	कुल निविदा राशि (रू)	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा राशि (रू) अंको एवं शब्दो में
1	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, 8, दहमीकलां, जे.डी.ए. संस्थानिय स्कीम, बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर–303007 (राजस्थान) के प्रशासनिक भवन परिसर की साफ–सफाई सहित कार्य समस्त कमरो एवं टायलेट आदि की प्रतिदिन सफाई, सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।	एक वर्ष	4.00 लाख	

निविदादाता के हस्ताक्षर

मोहर सहित

पूर्ण पताः–

REGISTRAR
Dr. Bhimrao Ambedkar Law University
Jaipur

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर

(A State Funded University of Rajasthan)

8, दहमीकलां, जे.डी.ए. संस्थानिक स्कीम, बगरू, तह.– सागानेर, जिला–जयपुर–303007, (राजस्थान)

www.alujaipur.ac.in E-mail:- registrar@alujaipur.ac.in

निविदा की शर्तें

टिप्पणीः–बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा बोलीयां भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. दरें शब्दों एवं अंको दोनो में लिखी जायेगी तथा इसमें कोई त्रुटि या काट–छाट, ओवर राईटिग नहीं होनी चाहिए।
2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्दीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक / बोलीदाता का होगा।
4. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
5. निविदादाता को इस प्रपत्र पर अंकित सभी दस्तावेजो की छायाप्रतियां स्वप्रमाणित कर इस तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
6. श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाऐं आदि में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व सेवा प्रदायकर्ता का होगा। श्रम विधि नियम उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए सेवा प्रदायकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। सेवा प्रदायकर्ता को श्रम विधि नियम उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में जारी किये गये सशोधन की पालना करने का दायित्व ठेकेदार/सेवाप्रदाता का होगा, पालना नहीं करने की स्थिति में उपापन समिति को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. बोलीदाता को आवश्यकतानुसार/एक वर्ष तक अथवा आगामी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने तक अनुमोदित दर से कार्य जारी रखने होगें तथापि कार्य सतोषजनक होने पर आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि नियमानुसार एक वर्ष ओर आगे बढ़ाई जा सकेगी।
8. श्रम अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं होने पर उनके विरूद्ध श्रमिक द्वारा श्रम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदादाता स्वयं के खर्च से वाद का निस्तारण करायेगा। यदि अनुबन्ध अवधि में लगाये गये श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना हो तो उससे होने वाले प्रत्येक दायित्व के लिए निविदादाता पूर्ण जिम्मेदार होगा। उपापन समिति की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन सस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में सवेदक को डीबार कराने की कार्यवाही करेगी।
10. नियोजित श्रमिको को मज़दूरी का भुगतान सम्बन्धित रावेदक/बोलीदाता द्वारा कराई जायेगी।
11. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित सवेदक/बोलीदाता को होगा। सवेदक/बोलीदाता को राज्य / केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार रामस्त श्रमिकों का नियमानुसार EPF, ESI जमा कराना होगा, जिसमे नियोजित श्रमिक की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा।
12. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दामित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा।

REGISTRAR
Dr. Bhimrao Ambedkar Law University
Jaipur

13. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उस परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके प्रबंधकीय जिम्मेवारी संवेदक/बोलीदाता का होगी। इसके लिये समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालना करने के लिए उत्तरदायी होगा।
15. श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
16. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ESI करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
18. बोलीदाता अपनी संविदाको या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सोपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
19. जिस बोलीदाता को बोली स्वीकार की जायेगी, यह कार्यादेश जारी होने के 07 दिवस में कार्य प्रारम्भ करेगा।
20. मूल्याकन की कसौटी–तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
21. बोलियों का अपवर्जनः– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपपूर्जित किया जा सकेगा।
22. सफल निविदादाता द्वारा नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि कुलसचिव, डॉ.भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/नगद के रूप में जमा कराने के पश्चात ही कार्यादेश जारी किया जावेगा। सफल बोलीदाता के करार निश्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेंगी।
23. **बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोलती प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगाः–**

    (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमे रूपान्तरण करता है।

    (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादन नहीं करना है।

    (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्यसम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

    (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कार्य प्रारम्भ नहीं करता।

    (ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय – 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
24. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नाकित मामलो में समपहरण किया जा सकें।

    (क) जब निविदा की शर्ती का उल्लघन किया गया हो।

    (ख) जब बोलीदाता कार्य/सम्पूर्ण सेवा सप्लाई संतोष जनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

REGISTRAR
Dr. Bhimrao Ambedkar Law University
Jaipur

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई / कार्य आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

25. **बाजार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूतिः–**

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैंक प्रशासक कुलसचिव, डॉ.भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम पर जमा करानी होगी एवं नियमानुसार 500/– नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एसआर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

(ब) सफल बोली दाता द्वारा, बोली प्रतिभूति की राशि को कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि में समायोजन की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराता है।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

26. **भुगतानः–** सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेंगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

27. **परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damages):–** सेवादाता फर्म द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार यदि सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो प्रतिदिन रु 1500/– की शास्ति लगाई जावेगी, जिसकी अधिकतम सीमा अनुबंध राशि से ज्यादा नहीं होगी।

28. निविदा प्रपत्र पर संवेदक / संस्था द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का प्रमाण पत्र सलग्न करें।

29. यदि संवेदक / संस्था द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है तो अधिकृति प्रमाण पत्र (Resolution, Power Of Attorney) संलग्न करे।

30. संवेदक / बोलीदाता को दी जाने बाली EPF, ESI एवं जी.एस.टी की दरों में केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशो के अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकेगी।

31. किसी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।

32. एम.एस.एक्ट 2013 की पालना एवं सुरक्षा उपायों तथा किसी प्रकार के मुआवजे का भुगतान स्वीकृत बोलीदाता द्वारा किया जावेंगा।

33. सभी निविदा का न्याय क्षेत्र जिला– जयपुर होगा।

34. किसी भी विवाद के लिए अन्तिम निर्णय कुलसचिव का मान्य होगा।

35. निविदा में वर्णित कार्य का समय प्रातः 08.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक रहेगा तथा समय परिवर्तन आपसी बातचीत से कुलसचिव के निर्देशानुसार परिवर्तन किया जा सकेंगा।

36. कार्य का सत्यापन किये जाने एवं भुगतान की अनुशंषा उपरांत भुगतान / मूल्यांकन मासिक आधार पर कुलसचिव, डॉ.भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा किया जायेगा।

REGISTRAR
Dr. Bhimrao Ambedkar Law Universit
Jaipur

37. यह निविदा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपादान पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन होगी।
38. सम्पूर्ण प्रशासनिक भवन परिसर की सफाई तथा समस्त कमरो एवं टायलेट आदि की प्रतिदिन सफाई करनी होगी। साफ–सफाई कार्य हेतु आवश्यक सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरे द्वारा उपर्युक्त शर्तों को अक्षरशः पढ़ व समझ लिया गया है एवं उक्त शर्तों की पालना करते हुए मेरे द्वारा सेवा निविदा में वर्णित स्पेसिफिकेशन के अनुसार उपलब्ध कराने को सहमत हूँ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मोहर सहित
मय पूर्ण पता

REGISTRAR
Dr. Bhimrao Ambedkar Law University
Jaipur

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर

(A State Funded University of Rajasthan)

8, दहमीकलां, जे.डी.ए. संस्थानिक स्कीम, बगरू, तह.– सागानेर, जिला–जयपुर–303007, (राजस्थान)

www.alujaipur.ac.in

E-mail:- registrar@alujaipur.ac.in

–:शपथ पत्र :–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... उम्र .... निवासी ....तहसील .... जिला .... शपथ पूर्वक बयान करता हूॅं, कि –

1. मेरी फर्म/कम्पनी का नाम ....है।
2. मेरी फर्म/कम्पनी का जी.एस.टी. पंजीयन संख्या..है।
3. मैं इस फर्म/कम्पनी का प्रोपराइटर/अधिकृत प्रतिनिधि हूॅं।
4. मेरी फर्म/कम्पनी किसी भी सरकारी विभाग/राजकीय उपक्रम/स्वायतशासी संस्था/सरकारी निगम/प्राईवेट संस्था में ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
5. मेरी फर्म/कम्पनी द्वारा सभी प्रकार के कर समय पर संबंधित विभाग में जमा करवाये जाते है।

उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य है। कोई भी कथन असत्य पाए जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

–:सत्यापनः–

मै उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापन करता/करती हूॅं कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य है।

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

REGISTRAR
Dr. Bhimrao Ambedkar Law University
Jaipur

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर
(A State Funded University of Rajasthan)
8, दहमीकलां, जे.डी.ए. संस्थानिक स्कीम, बगरू, तह.– सागानेर, जिला–जयपुर–303007, (राजस्थान)
www.alujaipur.ac.in
E-mail:- registrar@alujaipur.ac.in

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मोहर सहित

REGISTRAR
Dr. Bhimrao Ambedkar Law University
Jaipur

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as in obtain a financial or other benefit or avoid an obligation:
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any, and
(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bad in bidding process. Participation by a Bidder in more than on Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participate as Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, words or services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired for is proposed to the hired, by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date
Place

Signature of bidder
With Seal

REGISTRAR
Dr. Bhimrao Ambedkar Law University
Jaipur

Name

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No .... Daled .... I/we hereby declare under section of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial, and managerial resources and competence required by the bidding Document issued by the Procuring Entity:
2. I/we have fulfilled by our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bolding document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have, my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations at in my/our qualifications to enter procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules, and the bidding Document, which materially affects fair competition;

Dale
Place
Designation
Address

Signature of bidder name
With Seal

REGISTRAR
Dr. Bhimrao Ambedkar Law University
Jaipur

Annexure C: Grievance Redressal during procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is
The designation and address of the Second Appellate Authority is

1. **Filling an appeal**
   If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provision of the Act of the rules of the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to first appellate authority, as specified in the bidding document with in a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he fells aggrieved:
   Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceeding Provided further that in case a procuring Entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids. An appeal related to the matter of financial bids may be flied only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.
2. The officer to whom an appeal is filed under part (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in pare (2) If the bidder of prospective bidder of the procuring entity, is aggrieved by the order passed by the first appellate authority the bidder or prospective bidder or the procuring entity as the case may be may file a second appeal to second Appellate authority specified in the bidding document is this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be
4. **Appeal not to lie in certain case No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters namely**
   (A) determination of need of procurement
   (b) provisions limiting participation of bidders in the bid process
   (c) the decision of whether to enter negotiation
   (d) cancellation of procurement process
   (e) applicability of the provisions of confidentiality

REGISTRAR
Dr. Bhimrao Ambedkar Law University
Jaipur

5. **Form of appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed from along with as many copies as there are respondents in the appeal

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented is first appellate Authority or second appellate authority, on the cave mas be, in person or through registered post or anthorised representative.

6. **Fee for filling appeal**

(a) free for first appeal shall be rupess two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The lee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned

7. **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate authority of second appellate authority, as the case may be upon filling of appeal, shall Issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, If any, to the respondents and fie date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority as the case may be. shall

(i) Hear all the parties to appeal present before him and

(ii) Peruse or inspect documents relevant records of copies thereof relating to the matter.

(c) Alter hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of the order in the parties to appeal free of cost

(d) The order passed under sus clause it above shall also be placed on the state public procurement Portal

FORM No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

REGISTRAR
Dr. Bhimrao Ambedkar Law University
Jaipur

Appeal No……………………of…………………Before the…………..(First/second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action, or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved
4. if the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representatives
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: ……………………………………………….. (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ……………………………………………………………………………………
   Place: ………………………
   Date: ……………………….

Appellant's Signature

Date: …………………….. **Signature of bidder name**
Place: …………………….. **With Seal**
Designation: ………………
Address ……………………

REGISTRAR
Dr. Bhimrao Ambedkar Law University
Jaipur